परिशिष्ट–1

संख्या-08/2022/2/47-का-2-2022/02एलसी/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2022

विषय:-कम्प्यूटर कोर्स "ओ" लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-47-2099/299/2020, दिनांक 18-01-2022 द्वारा 'ओ' लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, उ0प्र0 शासन एवं श्री श्रीहरि प्रताप शाही, विशेष सचिव,कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा 'ओ' लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश/सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा 'ओ' लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है:-

(1)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से कम से कम 01 वर्ष की अवधि का 'O' Level पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(2)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसीबोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से 10+2 के उपरान्त कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो:-

1	DOAP	Diploma In Office Automation & Publishing
2	DOMA	Diploma In Office Management Application
3	ADC	Advance Diploma In Computer
4	ADCA	Advance Diploma In Computer Applications

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट–1

5	ADCH	Advance Diploma In Computer Hardware
6	ADCP	Advance Diploma In Computer Programming
7	DCA	Diploma In Computer Applications
8	DCFA	Diploma In Computerised Financial Accounting
9	DCS	Diploma In Computer Skills
10	DCTT	Diploma In Computer Teacher Traing
11	DIP	Diploma In Programming
12	DISA	Diploma In Information System Audit
13	DISM	Diploma In Software Management
14	DIT	Diploma In Information Technology
15	DST	Diploma In Software Technology
16	DTP	Diploma In Desktop- Publishing (DTP)
17	MDCA	Master Diploma In Computer Application
18	MDCISM	Master Diploma In Computer Information & System Management
19	MDIT	Master Diploma In Information Technology
20	MOMSP	Diploma In Modern Office Management and Secretarial Practice
21	CI&SN	Continuous Integration & System Networking Course
22	ADCST	Advance Diploma In Computer Software Technology
23	ADHN	Advance Diploma In Hardware & Networking
24	ADI	Advance Diploma In Information Technology
25	ADP	Automated Data Processing Course
26	ADSE	Advance Diploma In Software Engineering
27	AITT	All India Trade Tests
28	PGDCWD	Post Graduate Diploma In Computer Web Designing

(3)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरान्त की जाने वाली कम से कम 01 वर्ष की अवधि का PGDCA/DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट–1

(4)- UPDESCO से उत्तीर्ण 01 वर्ष का DIT (डिप्लोमा इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(5)- स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कम्प्यूटर सांइस/कम्प्यूटर अप्लीकेशन रहा हो।

(6)- B.Sc. IT, MCA /B.Tech./ ए लेवल/बी लेवल/ सी लेवल के कम्प्यूटर कोर्स, BCA, M.Sc. cyber law and security, B.Sc. में कम्प्यूटर साइंस/कम्पयूटर एप्लीकेशन एक विषय के रुप मे कम से कम किसी एक वर्ष में ।

(7)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से हाईस्कूल के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष की अवधि का कम्प्यूटर में Diploma पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(8)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त राष्टीय कम्प्यूटर साक्षरता मिशन से कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(9)- ITI से 52 सप्ताह का computer operator and programming assistance COPA कोर्स उत्तीर्ण हो।

(10)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से तीन वर्षीय Diploma in computer engineering /information technology/electronics engineering उत्तीर्ण हो।

2- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्प्यूटर कोर्स "ओ" लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-08/2022(1)/2/47-का-2-2022/02एलसी/2022,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।